Elligibility:-

- बी.एड. (विशिष्ट शिक्षा) कार्यक्रम में प्रवेश के लिए विज्ञान/सामाजिक विज्ञान/मानविकी/कृषि/वाणिज्य की स्नातक अथवा परास्नातक अथवा समकक्ष उपाधि में कम से कम 50 प्रतिशत अंक पाने वाले अभ्यर्थी पात्र होंगे। इसके अतिरिक्त इंजीनियरिंग या तकनीकी, जिसमें विज्ञान एवं गणित की विशेषज्ञता हो, स्नातक अथवा परास्नातक में कम से कम 55 प्रतिशत अंक प्राप्त करने वाले अभ्यर्थी अथवा इनके समतुल्य कोई अन्य अर्हता पाने वाले अभ्यर्थी प्रवेश के लिए पात्र होंगे।
- बी.एड (विशिष्ट शिक्षा) कार्यक्रम में प्रवेश हेतु वही अभ्यर्थी अर्ह होंगे जो या तो किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से अग्रांकित दो विषयों के साथ स्नातक परीक्षा उत्तीर्ण किये हो अथवा अग्रांकित विषयों में से एक विषय स्नातक पर तथा एक विषय इण्टरमीडिएट स्तर पर लिये हों– हिन्दी, अंग्रेजी, भौतिकशास्त्र, रसायनशास्त्र, जन्तुविज्ञान, वनस्पति विज्ञान, गणित, गृहविज्ञान, इतिहास, भूगोल, राजनीतिशास्त्र, मनोविज्ञान, समाजशास्त्र, अर्थशास्त्र तथा वाणिज्य।
- प्रवेश परीक्षा उत्तीर्ण करने वाले अभ्यर्थियों को निम्न दशाओं में से किसी एक या अधिक की पूर्ति करने पर प्रवेश परीक्षा में प्राप्तांकों में अधिकतम 10 अंक का अधिभार दिया जायेगा।

(a) दिव्यांग बच्चे के माता–पिता हों (दिव्यांग बच्चे के माता या पिता होने की स्थिति में बच्चे से सम्बन्ध का स्पष्ट प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा)। या,
(b) स्वयं दिव्यांग हो। या,
(c) RCI द्वारा मान्यता प्राप्त कोई कोर्स उत्तीर्ण किया हो।

- अधिभार प्राप्त करने के अर्ह अभ्यर्थियों के लिए आवश्यक है कि वे (a) अधिकृत अधिकारी अर्थात उत्तर प्रदेश के किसी जिले के जिला मुख्य चिकित्सा अधिकारी द्वारा निर्गत किया हुआ बच्चे का 40% या उससे अधिक दिव्यांगता का प्रमाणपत्र (b) अधिकृत अधिकारी अर्थात् उ.प्र. के किसी जिले के जिला मुख्य चिकित्सा अधिकारी द्वारा निर्गत किया हुआ स्वयं का 40% या उससे अधिक दिव्यांगता का प्रमाण–पत्र (c) RCI द्वारा मान्यता प्राप्त कोर्स का प्रमाण–पत्र/अंक–पत्र एवं आर.सी. आई. पंजीकरण प्रमाण–पत्र के साथ उपलब्ध कराना अनिवार्य होगा।
- **नोट :–**
  1. अर्हता प्रवेश परामर्श तिथि को पूर्ण होनी चाहिए एवं इस हेतु अंक पत्र/प्रमाण पत्र एवं अन्य वांछित प्रमाण पत्र निर्धारित प्रारूप पर प्रस्तुत करना होगा।
  2. दिव्यांग बच्चे के माता या पिता होने की स्थिति में बच्चे से अभ्यर्थी के सम्बन्ध का स्पष्ट प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा।

उत्तर प्रदेश के अन्य पिछड़ा वर्ग/अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग (EWS) के अभ्यर्थियों को ही उ0प्र0 शासन के अनुसार आरक्षण प्राप्त होगा।अन्य प्रदेशों के **EWS**/पिछड़ा वर्ग/अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के अभ्यर्थियो को प्रवेश अनारक्षित श्रेणी **(Open Category)** के अन्तर्गत दिया जायेगा।